न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/18/2024	2024/49	09.07.2024	03.09.2024

1. राजेश कुमार व्यास पुत्र स्व0 श्री मनोहर लाल व्यास, उम्र करीब 55 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम थौसडी, तहसील रैणी, जिला अलवर हाल निवासी 67, आजाद नगर 60 फुट सडक नजदीक ध्रुव आईटीआई अलवर।

——अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ हाल रैणी जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील बयनाराजी इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 01.12.1978 को रिकॉर्ड के विरूद्ध बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है जो निरस्त किया जाकर अपीलांट को सही नाम पुनः दर्ज किया जावे।

उपस्थितः—

01. श्री मुकेश व्यास — वकील अपीलाण्ट
02. श्री राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ हाल रैणी के निर्णय दिनांक 01.12.1978 नामान्तकरण संख्या 85 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि आवेदक खाता संख्या 58 खसरा संख्या 266, 331, 36, 360, 443, 446, 463, 47, 507, 508, 599, 677, 680, 762 वाके ग्राम थौसडी तहसील रैणी व आराजी खाता संख्या 60 खसरा न0 678 , 679, वाके ग्राम थौसडी तहसील रैनी और आवेदक खाता संख्या 59 खसरा नंबर 502, 506 वाके ग्राम थौसडी तहसील रैनी, और आवेदक खाता संख्या 12 खसरा थौसडी तहसील क्रमांक 96, 97 वाके ग्राम थौसडी तहसील रैणी व आराजी खाता संख्या 204 खसरा नंबर 686 और अराजी खाता संख्या 231 खसरा नंबर 663, आराजी खाता नंबर 61 खसरा नंबर 624, और आराजी खाता नंबर 206 खसरा नंबर 250, वाके गांव थौसड़ी तहसील रैणी जिला अलवर। अपीलांट के पिता स्वर्गीय श्री मनोहरलाल शर्मा के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। स्वर्गीय मनोहरलाल अपीलांट के पिता थे। और अपीलांट के पिता मनोहरलाल की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है।

अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त उसकी विरासत का इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 01/12/1978 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया गया है उसमें अपीलान्ट का नाम रिकार्ड के विरूद्ध गलत दर्ज किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

है। इस हद तक निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का सही नाम मुताबिक रिकार्ड दर्ज किए जाने योग्य है। श्री मनोहरलाल मृतक जिसकी विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट का नाम खोला गया है जिसमें श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ ने नामान्तरकरण स्वीकार करते वक्त इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि मृतक के वारिसान का सही नाम क्या है और मृतक के वारिसान का नामान्तकरण में गलत नाम" बृजेन्द्रकुमार पुत्र मनोहरलाल दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम राजेश कुमार व्यास पुत्र श्री मनोहरलाल" है। जो काबिल गौर व स्वीकार योग्य है। जिसकी पुष्टि में अपीलान्ट के आधार कार्ड व जनाधार कार्ड व बैंक पास बुक से होती है। साथ ही अन्य दस्तावेजों में भी अपीलान्ट का सही नाम है जो भी होती है। उक्त रिकार्ड अपील की पुष्टि में संलग्न है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के समय अपीलान्ट की उम्र कम थी और बाल्य अवस्था थी। तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा जब अपीलान्ट के पिता मनोहरलाल की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज व स्वीकार किया उस समय वारिसान के नाम की सही जानकारी नही उनका जो बोलता नाम था उसी के आधार पर इन्तकाल संख्या 85 में नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया जो काबिज स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार इन्तकाल संख्या 85 के आधार पर अपीलान्ट का नाम हाल रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज रहने से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। तथा अपीलान्ट अपने पिता की आराजी का रिकार्ड में नाम गलत रहने से आराजी का सही उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो रहे है। इसलिए अपीलान्ट का सही नाम अपील स्वीकार कर रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किए जाने योग्य है। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखे जाने योग्य है।

अपीलान्ट जिसका सही वास्तविक नाम राजेश कुमार व्यास पुत्र मनोहरलाल है जिसकी पुष्टि आधार कार्ड, जनाधार कार्ड व बैंक पास बुक आदि में भी अपीलान्ट का सही नाम होने की होती है। जिसकी फोटोकॉपी न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। हाल नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 01/12/1978 को दर्ज किया जिसमें त्रुटी से अपीलान्ट का नाम "राजेश कुमार व्यास पुत्र मनोहरलाल" के स्थान पर बृजेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल" दर्ज कर दिया जो इन्द्राज बमुकाबले प्रार्थी/अपीलान्ट बातिल बेअसर होने के काबिल दुरूस्त है। इस प्रकार का गलत इन्द्राज होने से अपीलान्ट के हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे है। जिसे दुरुस्त किया जाने की आवश्यकता है। जिसकी दुरुस्ती से किसी अन्य सहखातेदार या सरकार के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है। इस कारण उक्त दुरूस्ती के लिए नियमित वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को कृषि ऋण की पत्रावली तैयार कराते समय पटवारी से दिनांक 10/06/2024 को रिकार्ड देखने से हुई उसके उपरान्त दिनांक 12-6524 को अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 85 की नकल प्राप्त की। तथा उसके उपरान्त यह अपील न्यायालय श्रीमान के यहा जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। जो जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। तथा देरी को कोन ठिक जान का धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 01/12/1978 तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला अलवर को निरस्त किया जाकर पुनः इन्तकाल दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का उक्त इन्तकाल में गलत नाम बृजेन्द्र कमार पुत्र मनोहरलाल" जो दर्ज है। उसको दुरूस्त करते हुए अपीलान्ट का सही नाम " राजेश कुमार व्यास पुत्र मनोहरलाल" दर्ज किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखे जावे। दीगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दादरसी उचित हो प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि नामांतरकरण दर्ज करते समय राजेश कुमार के स्थान पर बोलता हुआ नाम बृजेन्द्र कुमार कर दिया गया जो कि गलत है। नाम गलत दर्ज होने से अपीलांट के हक–हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का सही नाम इंतकाल में दर्ज करवाने का श्रम करें। बहस पूर्ण।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 01.12.1978 को नामान्तकरण संख्या 85 वाके ग्राम थौसडी तहसील रैणी स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम बृजेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड 8127 3233 6595, राशन कार्ड संख्या 792, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका संख्या 221524 इत्यादि में अपीलान्ट का नाम राजेश कुमार अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.1978 से स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 85 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट निर्णय दिनांक 01.12.1978 नामांतरकरण संख्या 85 वाके ग्राम थौसडी तहसील रैणी बृजेन्द्र कुमार के नाम में संशोधन हद तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्पूर्ण जांच एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए एक महीने में विधिवत आदेश पारित कर नामान्तकरण को संशोधित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा 1लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)